

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

पंचायत एवं ग्रामीण विकास/वन विभाग

दिनांक 19.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	ता.प्र.सं.01 (क्र. 473) दि. 19.02.2015 (श्री कुंवर सिंह टेकाम)	(1) विभागीय मंत्री का वन मंत्री से कुछ पुलिया जो अपेक्षित है, वह बनवाने हेतु विधान सभा क्षेत्र सीधी के अंतर्गत रिजर्व टाईगर प्रोजेक्ट क्षेत्र के ग्रामों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के अंतर्गत पुलियों का निर्माण कराया जाना । (2) ग्राम शेर एवं अमडेहा में सड़कों का निर्माण कराया जाना ।	(1) <u>विभागीय मंत्री का वन मंत्री से यह आग्रह कि</u> - कुछ पुलिया जो अपेक्षित है, वह बनवाने की कृपा करेंगे । वन मंत्री :- आरईएस और ग्रामीण विकास विभाग वन विभाग को पैसा हस्तांतरित कर देगा तो हम उसमें निर्माण करवा सकते हैं । (2) विभागीय मंत्री :- सड़क बनवाने का काम शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ करवाउंगा ।		
02	ता.प्र.सं.10 (क्र.466) दि.19.02.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह "बन्ना")	रीवा जिले के जनपद पंचायत नईगढी के ग्राम पंचायत डिहिया पाडांन में रोजगार सहायक के पद पर नियुक्त आवेदक द्वारा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना ।	कलेक्टर, जिला रीवा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नईगढी जिला रीवा को ज्योति पाण्डेय आ.श्री सुर्यमणि पाण्डेय के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।		
03	ता.प्र.सं.14 (क्र.223) दि. 19.02.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	देवास जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत गुणवत्ता विहिन सड़कों के निर्माण कार्य की जांच कराई जाना ।	स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण मानीटर्स का दल बनाकर जांच आदेशित की है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 19.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04	परि.ता.प्र.सं.12 (क्र. 241) दि. 19.02.2015 (श्री वीरसिंह पंवार)	विदिशा जिले में राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों में अनियमितता करने वाले संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना क्र. 02 में परियोजना के टीम लीडर के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलन में है ।		
05	परि.ता.प्र.सं.14 (क्र. 246) दि. 19.02.2015 (श्री नारायण त्रिपाठी)	रीवा संभाग के सहकारी बैंकों के जिला महाप्रबंधक सीधी एवं सतना के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच तथा जांच निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	(1) श्री आर.के.एस. चौहान के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर श्री चौहान को दिनांक 20.12.2014 से निलंबित किया जाकर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा, (2) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सतना के महाप्रबंधक श्री ए.बी.शुक्ला के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन है, कार्यवाही जांच निष्कर्षाधीन है ।		
06	अता.प्र.सं.18 (क्र.268) दि.19.02.2015 (श्री मधु भगत)	बालाघाट जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत कोसमी में गायत्री पूरम कालोनी में कॉलोनाईजर द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि को प्लाट के रूप में विक्रय किये जाने की जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	नियमों के अधीन कालोनाईजर के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलन में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 19.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
07	अता.प्र.सं.40 (क्र. 490) दि. 19.02.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के विकासखण्ड लहार की ग्राम पंचायत लालपुरा के सरपंच द्वारा आर्थिक अनियमितताएं किये जाने की विधिसंवत् कार्यवाही की जाना ।	सरपंच ग्राम पंचायत लालपुरा के विरुद्ध म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 92 के तहत कार्यवाही की जावेगी ।		
08	अता.प्र.सं.41 (क्र. 499) दि. 19.02.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले की विधान सभा क्षेत्र सुरखी के अंतर्गत ग्राम बिलहरा से केवलारी तक निर्माणाधीन गुणवत्ता विहिन सड़क निर्माण की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना तथा समय-सीमा में सड़क मार्ग का निर्माण किया जाना ।	(1) दो स्टेट क्वालिटी मॉनीटर की संयुक्त टीम बनाकर जांच कराये जाने के आदेश दिये गये हैं । जांच पूर्ण होने पर गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी । (2) बिलहरा से केवलारी मार्ग को शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

दिनांक 19.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09	परि.ता.प्र.सं.27 (क्र.422) दि.19.02.2014 (कुंवर सौरभ सिंह)	कटनी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन बिक्री में अनियमितता करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	अनुशासनात्मक कार्यवाही के निष्कर्ष के आधार पर निर्धारित किया जा सकेगा ।		
10	अता.प्र.सं.15 (क्र.251) दि.19.02.2015 (श्री हर्ष यादव)	सागर जिलान्तर्गत देवरी विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को समय-सीमा में पर्ची उपलब्ध कराया जाना ।	पात्र परिवारों को एक माह में पात्रता पर्ची उपलब्ध करा दी जावेगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

सहकारिता विभाग

दिनांक 19.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	ता.प्र.सं.15 (क्र.527) दि. 19.02.2015 (श्री बाला बच्चन)	जिला सहकारी बैंक सीधी में नियम विरुद्ध हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराये जाने की जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना ।	बैंक को एक माह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है । अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) से ट्रैक्टर ऋणों का परीक्षण कराया जा रहा है ।		
12	ता.प्र.सं.18 (क्र.30) दि. 19.02.2015 (श्री इन्दर सिंह परमार)	शाजापुर जिले के प्राथमिक सहकारी साख संस्था मर्यादित उगली के संचालक को सहकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार योग्य नहीं होने पर हटाया जाना ।	श्री आत्माराम मीणा को संस्था के संचालक पद से हटाने हेतु संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां संभाग, उज्जैन द्वारा दिनांक 18.02.2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 50-ए के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है ।		
13	परि.ता.प्र.सं.38 (क्र.564) एवं अता.प्र.सं.52 (क्र. 576) दि. 19.02.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	रोहित गृह निर्माण सहकारी समिति, भोपाल के सदस्य द्वारा जमा करावाई गई राशि की जांच एवं समिति के शेष सदस्यों को प्लांट आवंटन किया जाना ।	रिकार्ड जप्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत जानकारी दी जा सकेगी ।		
14	अता.प्र.सं.30 (क्र.376) दि.19.02.2015 (श्री आरिफ अकील)	दुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल के विरुद्ध शिकायत की जांच निष्कर्ष के गुण-दोष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना ।	शिकायत की जांच संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, भोपाल संभाग द्वारा की जा रही है तथा जांच की कार्यवाही निष्कर्षाधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

सहकारिता विभाग

दिनांक 19.02.2015

आश्वासन क्रमांक	ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	ध्यानाकर्षण सूचना क्र.23 (डॉ.गोविन्द सिंह एवं श्री आरिफ अकील)	(1) प्रदेश में यूरिया खाद्य वितरण सहकारी समितियों से कराया जाना । (2) रायसेन जिले के सलामतपुर सोसायटी द्वारा जो कृषकों डिफाल्टर नहीं है उनसे पैसे लेकर खाद्य दिये जाने की जांच कराई जाना । (3) फसल उपार्जन पर बोनस दिया जाना ।	(1) आगे जाकर और कुछ भी जो ज्यादा युक्तियुक्तकरण होगा, जो आवश्यक होगा, वह करेंगे । (2) जी एस सोसायटी की जांच करा लेंगे । (3) बोनस देंगे, आप चिंता मत करो, किसी न किसी रूप में बोनस मिलेगा ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक 19.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	ता.प्र.सं.25 (क्र.311) दि. 19.02.2015 (श्री संजय पाठक)	(1) उप संचालक एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना । (2) जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही किया जाना ।	(1) जी हां, संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव दिनांक 11.02.15 को प्राप्त हुआ । परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी । (2) जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
17	अता.प्र.सं.24 (क्र.316) दि.19.02.2015 (श्री संजय पाठक)	उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कटनी द्वारा नियम विरुद्ध दण्ड राशि की वसूली की जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना ।	जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । जांच उपरांत गुणदोष के आधार पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।		
18	अता.प्र.सं.39 (क्र. 489) दि.19.02.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, दतिया द्वारा कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों पर पालन न किये जाने की जांच कराई जाकर कार्यवाही किया जाना ।	श्री डी.आर.राजपूत, तत्कालीन उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के विरुद्ध विभागीय आदेश क्रमांक एफ-4ए-67/2014/14-1, दिनांक 06.02.2015 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गयी है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

गृह विभाग

दिनांक 19.02.2015

आश्वासन क्रमांक	ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	ध्यानाकर्षण सूचना क्र. 72 (श्री यशपाल सिंह सिसोदिया)	(1) प्रदेश में साइबर क्राइम की रोकथाम के लिये अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना एवं इनकी संख्या बढ़ाई जाना । (2) प्रदेश में साइबर थानों की स्थापना किया जाना ।	(1) जिस प्रकार के साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, उसके लिये हम प्रशिक्षित अधिकारियों को भी और कर्मचारियों को भी और केन्द्र को भी बढ़ायेंगे । (2) भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में साइबर थाने भी खोले जायेंगे ।		

